भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3682

(दिनांक 18.12.2024 को उत्तर के लिए)

भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने में लोकपाल की भूमिका

3682. श्री हैबी ईडन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान लोकपाल को भ्रष्टाचार अथवा कदाचार के कुल कितने मामले भेजे गए हैं और इन मामलों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) लोक सेवाओं के भीतर जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने में लोकपाल की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) लोकपाल को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने और अभियोजन चलाने में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार लोकपाल की भूमिका और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को सूचित करने के लिए कोई जन जागरूकता अभियान अथवा आउटरीच कार्यक्रम चला रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क): वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, लोकपाल के पास कुल 166 शिकायतें दर्ज की गई थी जिनमें से दिनांक 30.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 156 शिकायतें निस्तारित कर दी गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 (30.11.2024 तक) के दौरान, लोकपाल के पास कुल 210 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से दिनांक 30.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 158 शिकायतें निस्तारित कर दी गई हैं।

(ख एवं ग): लोकपाल (शिकायतें) नियमावली, 2020 सहित लोकपाल के कामकाज हेतु नियम अधिसूचित किए जा चुके हैं।

लोकपाल को प्राप्त शिकायतों को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाता है।

(घ): लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं कामकाज, शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया, शिकायतों की स्थिति, लोकपाल से संबंधित एफएक्यू, शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया इत्यादि सहित सारा विवरण, लोकपाल की समर्पित (डेडिकेटेड) वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

*****